

| | | |
|---------------|-----------------------------------|---|
| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---------------|-----------------------------------|---|

11/11/22

पत्रावली आज पेज हुई। अपीलान्त वाली उपायित।
 अपीलान्त वाली की अपील अंतर्गत द्वारा 75LR Act 1952
 के तहत प्रानुत उक्त अपील में वस्तु पूर्व पेची को सुनी
 जा चुकी है। वस्तु पर मनन किया गया। (वस्तु के जो डा परिशील
 किया गया। अपीलान्त द्वारा बताया गया कि अपीलान्त
 द्वारा विरुद्ध सेल्फोडेण्डस एक राजस्व वाद अंतर्गत एड
 लूके की घोषणा, अंतर्गत स्थिति ~~विषयवाची है~~ ~~उक्त~~
 सहायक कलक्टर लावडी न्यायालय में विचारधीन है।
 उक्त भूमि के संबंध में अपीलान्त के द्वारा उक्त ~~अपील~~ अपील
 में अपने पिता स्व. पेमाराम की स्वयंजित भूमि के
 संबंध में पूर्व नामांतरण 570 अथ जिस्से डेवलपुत्र का
 ही नाम से अथ गया। पुत्र लादूराम ने आगे भूमि
 का बेचान भी किया व साथ ही अपनी लादूराम के फौज
 होने पर न.स. 3694 दिनांक 3-8-15 अथ गया जिसे
 खरिज किया आवे। पत्रावली का डावलोकन किया गया।
 अपीलान्त द्वारा अपनी वस्तु व अपील में बताया है कि सेल्फोडेण्डस
 के विरुद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर लावडी में राजस्व
 वाद अंतर्गत द्वारा 88,53,188 R-1 Act 1955 विवायधीन
 है। जिसमें अपीलान्त के Rights तय होने हैं। नामांतरण
 एक fiscal proceeding है। उक्त वाद अंतर्गत द्वारा

सारील
सूचना

सूचना या कार्यवाही का प्रतिक्रियापत्र

88, 53, 183 अतः 1953 में लागू की गई आन्ध्र प्रदेश
सुशासन अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत नए जोड़े। अतः
अपील हेतु अतः 75 राज. सु. नं. 1953 अन्तर्गत
विशेष प्रवृत्ति के अन्तर्गत जागी है। पत्राचार
के अन्तर्गत सुशासन के अन्तर्गत जो अतः अतः अतः
नियंत्रण है।

5
सहायक प्रोसेक्टर एवं
उपसंचालक अधिकारी, नागपुर